भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *197

जिसका उत्तर शुक्रवार, 01 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

न्यायपालिका में सामाजिक विविधता

***197. श्री सचिदानन्दम आर.:**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारियों की नियुक्तियों में आरक्षण लागू करने के उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय की पृष्ठभूमि में न्यायपालिका में सामाजिक विविधता की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी के आलोक में उच्चतम न्यायालयों और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियों में आरक्षण के मुद्दे को उठाया है, यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या वर्ष 2018 से 78 प्रतिशत न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च जातियों से होने के दृष्टिगत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की न्यायिक नियुक्तियों की प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन किए जाने की तत्काल आवश्यकता है, यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

श्री सचिदानन्दम आर. द्वारा न्यायपालिका में सामाजिक विविधता से संबंधित लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *197 जिसका उत्तर तारीख 01.08.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

(क) से (ग) : उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217 तथा अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती है, जो किसी जाति या व्यक्तियों के वर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं करता है । अतः, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बीच किसी जाति या व्यक्तियों के वर्ग के प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रवर्ग-वार डाटा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। 2018 से, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पद के लिए सिफारिश किए गए व्यक्तियों के लिए विहित रुपविधान (उच्चतम न्यायालय के परामर्श से तैयार किया गया) में उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित ब्यौरे का उपबंध करना अपेक्षित है । सिफारिश किए गए व्यक्तियों द्वारा उपबंधित सूचना के अनुसार, 2018 से 28.07.2025 तक 753 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई, जिनमें से 24 अनुसूचित जाति प्रवर्ग से संबंधित हैं, 17 अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग से संबंधित हैं, 93 अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रवर्ग से संबंधित है और 42 अल्पसंख्यक प्रवर्ग से संबंधित हैं ।इसी अवधि के दौरान 117 महिलाओं को विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था ।

प्रक्रिया के ज्ञापन (एमओपी) के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों के आरंभ का उत्तरदायित्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित है, जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों के आरंभ का उत्तरदायित्व संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित है । तथापि, सरकार न्यायपालिका में सामाजिक विविधता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से अनुरोध कर रही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्तावों को भेजने के दौरान, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं से संबंधित उपयुक्त अभ्यर्थियों पर सम्यक रुप से ध्यान दिया जाए । केवल वे व्यक्ति जिनकी उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा सिफारिश की जाती हैं, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए जाते हैं ।

उच्च न्यायालयों के कर्मचारिवृंद की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 229(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार उच्च न्यायालयों द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार की जानी है। जो उपबंध करता है कि *"उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो उस न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उस न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा, जिसे मुख्य न्यायमूर्ति ने इस प्रयोजन के लिए नियम बनाने के लिए प्राधिकृत किया है, बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाएं"।*

****